फर्द अहकाम

कमलेश वर्मा बनाम राम सहाय वर्मा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 43/2020

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	[illegible]
	03/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी पक्ष की बहस को भी सुना गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के आदेश रूप से स्वीकार कर विस्तृत निर्णय पृथक से किया जाकर प्रकरण निस्तारित किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार रिकार्ड नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
43 / 2020	07.07.2020	03.02.2025

1 कमलेश पुत्र किशनलाल
2 कैलाश पुत्र किशनलाल
3. लालाराम पुत्र किशनलाल
4 कालूराम पुत्र किशनलाल
5 भूली पत्नि किशनलाल
6 सुरेश पुत्र किशनलाल
7 कजोड पुत्र श्योनारायण
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सानकोटडा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1 रामसहाय पुत्र सुखाराम
2. गंगाराम पुत्र श्यानन्दा
3 दुर्गा देवी पत्नि रामकरण
4 रमेशचन्द पुत्र छीतरमल
5 रामफूल पुत्र गोपीचन्द
6 श्रवण पुत्र सुखाराम
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम सानकोटडा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
7 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक :– वकील प्रार्थीगण।
श्री महेश कुमार शर्मा :– वकील अप्रार्थी सं0 4

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 131, 132 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट राजेश कुमार पारीके ने यह प्रार्थना पत्र लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 131, 132, 136 के तहत इन कथनो के साथ पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 202 जिसके गत नम्बर 151 है। खसरा नं. 151 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा था जिसमें 6 बिस्वा भूमि नेशनल हाईवे मनोहरपुर से दौसा रोड में जाने से 6 बिस्वा भूमि भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम पृथक होने पर 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि शेष रही जिसके हाल खसरा नं. 202 रकबा 0.2900 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 151 का नक्शा वर्तमान नक्शे में गलत दर्शा दिया गया है खसरा नम्बर 202 का नक्शा त्रुटिपूर्ण कायम करते हुये नेशनल हाईवे से लगती प्रार्थीगण की भूमि में खसरा नं. 206 व 207 दर्शा दिया गया है जबकि

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

नेशनल हाईवे खसरा नं. 209 से लगवा खसरा नं. 151 के नक्शे अनुसार ही खसरा नं. 202 का नक्शा नेशनल हाईवे से लगता कायम किया जाना चाहिये था परन्तु अप्रार्थीगण की भूमि जो कि नेशनल हाईवे से दक्षिण दिशा में है को नेशनल हाईवे के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण की भूमि में दर्शा दिया गया है और प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 151 के पूर्व दिशा में खाली सरकारी भूमि को प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 202 में दर्शा दिया गया है जबकि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 151 के नक्शे अनुसार ही भौतिक रूप से प्रार्थीगण का कब्जा है एवं नवीन नक्शा 202 को रोड से दूर दर्शा कर अप्रार्थीगण की भूमि को प्रार्थीगण की हाईवे से लगवा भूमि में दर्शा दिया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग के स्थान पर प्रार्थीगण काबिज है एवं प्रार्थीगण की वास्तविक खातेदारी की भूमि एवं पूर्व नक्शा 151 अनुसार लाल रंग के स्थान पर ही नवीन खसरा नं. 202 का नक्शा कायम किया जाना चाहिये था जो उक्त प्रकार से त्रुटिपूर्ण नक्शा कायम किया गया है जो ना ही तो व्यवहारिक है और ना ही पक्षकारों के कब्जे काश्त अनुसार है और ना ही पूर्व नक्शे के मुताबिक है। नवीन नक्शा जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का कायम किया गया है उसका कोई आधार नहीं है ना ही किसी सक्षम न्यायालय के कोई आदेश वर्तमान नक्शा कायम करने हेतु किये गये है जिस प्रकार की नक्शा बिना किसी आधार पर कायम किया गया है जो क्षेत्राधिकार विहिन एवं त्रुटिपूर्ण तथा अविधिक कायम किया गया नक्शा है जो दुरूस्तनीय है। उक्त प्रकार से त्रुटिपूर्ण नक्शे के आधार पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन निर्माण कर रहे है और लॉकडाउन होने की वजह से न्याायलय श्रीमान के समक्ष कोई आवेदन नहीं किया जा सका है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण किया जा रहा है और नेशनल हाईवे के उत्तर दिशा में प्रार्थीगण की भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल खसरा नं. 202, 205, 214, 206, 215, 207, 216, का त्रुटिपूर्ण नक्शा दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 202 पूर्व खसरा नं. 151 का नक्शा दुरूस्त किया जाकर संलग्न नजरी नक्शे मौके में लाल रंग से दर्शित स्थान (पूर्व नक्शा खसरा नं. 151 अनुसार) के अनुसार दुरूस्त किया जाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई, तत्पश्चात् आदेश 9 नियम 7 के तहत अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से एडवोकेट श्री महेश शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से मूल प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्तियां एवं जवाब पेश हुआ, जिसमे कहा गया कि प्रार्थीगण ने मिथ्या कथन करते हुये खसरा नंबर 205, 206, 207 को दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि अप्रार्थीगण साबिक कब्जे काश्त व खातेदारी अनुसार पूर्ववतः काबिज काश्तकार है। खसरा नंबर 202 अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से कोई आपत्ति नही है। खसरा नंबर 202 के राजस्व नक्शे की तरमीम पूर्वानुसार है। खसरा नंबर 202 एवं 205, 207, 206 के बीच की सीमा रेखा पूर्वानुसार एवं खातेदारी के रकबा बरारी अनुसार तरमीम की गई है। प्रार्थीगण ने अनाधिकृत रूप से खसरा नंबर 206, 207 की सीमा को दुरूस्ती करने हेतु अनुतोष चाहा है, जो कि विधि विधान व तथ्यो के कतई विपरीत है। सेटलमेन्ट अधिकारियो ने पूर्वानुसार खसरा नंबर 206, 207 के राजस्व नक्शे के मध्य की सीमा को पूर्ववतः एवं खातेदारी रकबा बरारी सहित तरमीम किया है। तरमीम शुदा नक्शो के विरूद्ध प्रार्थीगण को यह प्रकरण प्रस्तुत करने का अधिकार नही है एवं मिथ्या कथनो के आधार पर मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी मालिकाना की भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत प्रकरण पेश करने मे प्रार्थीगण की भूल है और प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
भू-प्रबन्ध विभाग-जयपुर

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 202 जिसके गत खसरा नंबर 151 है, से लगती नेशनल हाईवे रोड निकली है, जिसमे खसरा नंबर 151 से 6 बिस्वा भूमि भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम पृथक होने पर एक बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की शेष रही, जिसके हाल खसरा नंबर 202 है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित स्थान पर खसरा नंबर 202 और नेशनल हाईवे के मध्य खसरा नंबर 206 व 207 दर्शा दिया गया है, जबकि स्पष्ट तौर पर खसरा नंबर 151 एवं नेशनल हाईवे के मध्य पूर्व मे अन्य कोई भूमि दर्शित नही है। इस प्रकार 151 के विभक्त खसरा नंबर 202 और नेशनल हाईवे के मध्य खसरा नंबर 206, 207 को दर्शाया जाना स्पष्ट तौर पर तकनीकी त्रुटि है। अतः हाल खसरा नं. 202, 205, 214, 206, 215, 207, 216, का त्रुटिपूर्ण नक्शा दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 202 पूर्व खसरा नं. 151 का नक्शा दुरूस्त किया जाकर संलग्न नजरी नक्शे मौके में लाल रंग से दर्शित स्थान (पूर्व नक्शा खसरा नं. 151 अनुसार) के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिया जावें।

प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 7 (पैरोकार सरकार) से प्रकरण पर रिपोर्ट तलब की गई, जिसमे तहसीलदार ने राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे का उपलब्ध नही होना जाहिर करते हुये कोई संतोषजनक रिपोर्ट और जवाब पेश नही किया है।

हमने मूल प्रार्थना पत्र पर बहस वकील उभय पक्ष की सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पूर्व एवं वर्तमान नक्शे से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 202 जिसके गत खसरा नंबर 151 है, से लगती नेशनल हाईवे रोड निकली है, जिसमे खसरा नंबर 151 से 6 बिस्वा भूमि भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम पृथक होने पर एक बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण की शेष रही, जिसके हाल खसरा नंबर 202 है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र क साथ संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित स्थान पर खसरा नंबर 202 और नेशनल हाईवे के मध्य खसरा नंबर 206 व 207 दर्शा दिया गया है, जबकि स्पष्ट तौर पर खसरा नंबर 151 एवं नेशनल हाईवे के मध्य पूर्व मे अन्य कोई भूमि दर्शित नही है। इस प्रकार 151 के विभक्त खसरा नंबर 202 और नेशनल हाईवे के मध्य खसरा नंबर 206, 207 को दर्शाया जाना स्पष्ट तौर पर तकनीकी त्रुटि है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 सपठित धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सानकोटडा, हाल तहसील आंधी में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 202, 205, 206, 207, का त्रुटिपूर्ण नक्शा दुरूस्त किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 202 पूर्व खसरा नंबर 151 का नक्शा दुरूस्त किया जाकर साबिक नक्शा खसरा नंबर 151 अनुसार नेशनल हाईवे को छोडकर दुरूस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 205, 206, 207 की तरमीम भी जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार साबिक नक्शें को ध्यान में रखकर दुरूस्त किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 03.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना